न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 221/2023

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थी – 1. अब्दुलकरीम पुत्र खबड़खान 2.सुमार पुत्र मुसा 3.हनीफ पुत्र अजीम 4.हबीब 5.हिदायत पि.हाजी 6.अमीनखान पुत्र जलालखान 7.अशरफखान पुत्र खबड़खान 8.इनायत पुत्र हाजी 9.जुलेखान पत्नि हाजी 10.जिन्दा पुत्र सुलेमान 11.मुरीद पुत्र मुसा 12.लूणाखान पुत्र करीमखान 13.सकूर पुत्र अजीज, जाति मुसलमान, निवासी अमीमोहमदशाह की बस्ती, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार धनाऊ

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण – श्री फताराम गोदारा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 07.12.2023

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खेत मौजा अमीमोहमदशाह की बस्ती (बामणोर), तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर में खसरा सं. 371/287 रकबा 04.8238 हैक्टेयर का आया हुआ है तथा विप्रार्थी सं. 1 की भूमि खसरा सं. 422/287 रकबा 00.5180 हैक्टेयर की आई हुई है।

प्रार्थीगण द्वारा खसरा सं. 371/287 में से रकबा 03.04 बीघा भूमि रास्ते के रूप में राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण कर दी गई, जिसका नामान्तरकरण सं. 115 दिनांक 13.04.2012 को स्वीकृत किया गया। उक्त समर्पित भूमि की तरमीम करते समय लट्ठा ट्रेस में मौके पर खेत खसरा सं. 286 के मेढ़ा सेढ़ तरमीम करनी थी, जो मौके पर नहीं कर उसके सामने के सेढ़ा पर तरमीम कर दी, जो गलत की गई है। जिससे प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थीगण मौजा अमीमोहमदशाह की बस्ती (बामणोर), तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर में खसरा सं. 371/287 रकबा 04.8238

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.01.15 12:44:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

हैक्टेयर तथा विप्रार्थी सं. 1 की भूमि खसरा सं. 422/287 रकबा 00.5180 हैक्टेयर की तरमीम दुरस्त करवाना चाहते है। जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार धनाऊ से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार धनाऊ से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित हुए। तहसीलदार धनाऊ से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार धनाऊ से जो तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसके परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करते हुए आवेदन का निस्तारण किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की मौका फर्द का अवलोकन किया गया जिसमें तहसीलदार धनाऊ द्वारा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता भी इस हेतु सहमत है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर मौजा अमीमोहमदशाह की बस्ती (बामणोर), तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर में खसरा सं. 371/287 रकबा 04.8238 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी सं. 1 की भूमि खसरा सं. 422/287 रकबा 00.5180 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा दिनांक 03.11.2023 के परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त की जाती है। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल [illegible] क कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.01.15 12:44:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

नक्शा

ग्राम - अमीमोहम्मद शाह की बस्ती

खसरा न० 371/287, 422/287

दक्षिण

"A" बरंग (=)

"B" बरंग (—)

(1) वर्तमान तरमीम अक्ष 'A'
खसरा न० 422/287

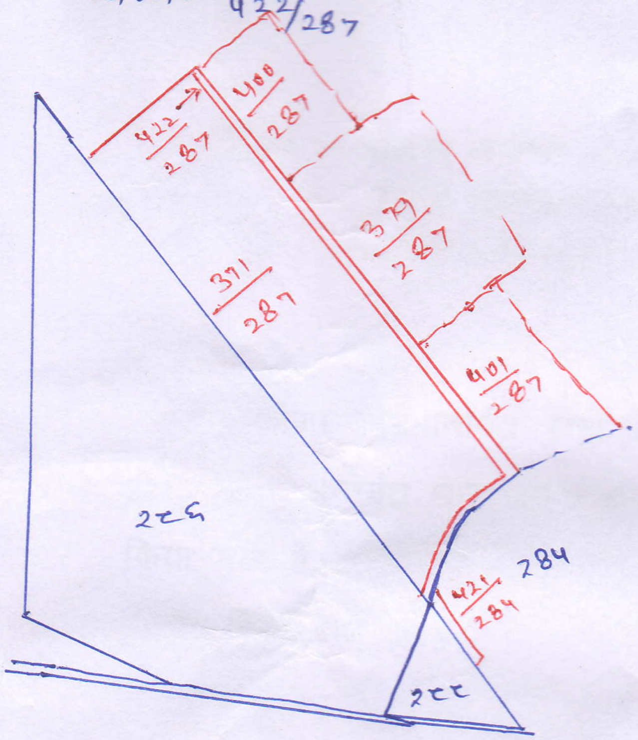

(2) मौके पर निर्मित ग्रेवल सड़क
एवं प्रस्तावित तरमीम दुरुस्ती अक्ष (B)

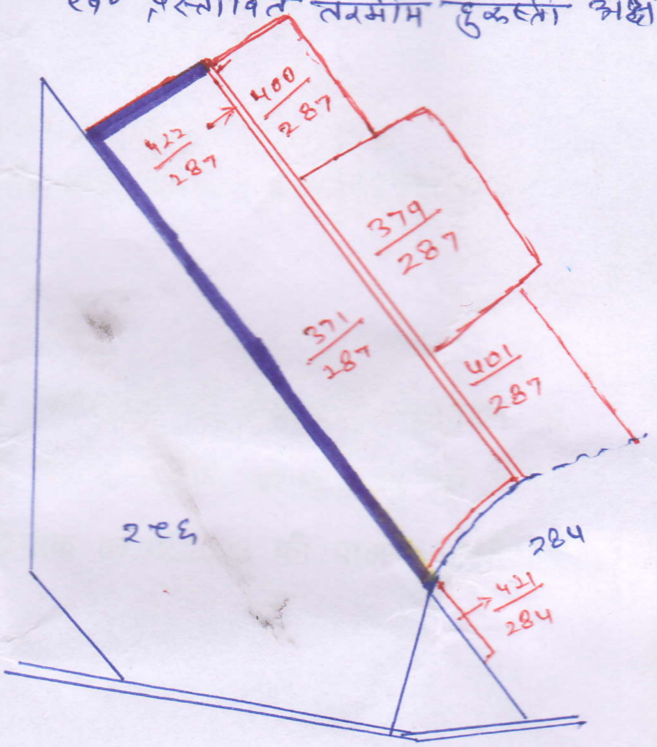

3.11.2023

(नंदलाल)
पटवारी भू.अ.बामणोर
तहसील

3/11/23

C.S

तहसीलदार धनाऊ

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.01.15 12:44:04 IST
Reason: SelfAttested

सफूरा
(सफूरा)
सरपंच
ग्रा.प. अमी मोहम्मद शाह की बस्ती
पं.स.धनाऊ (बाडमेर)

C.S

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

(5) राऊराम

(6) जगदीश

(1) उडमाराम